



उलंघन पत्र

रजि.ए.डी.

भारत सरकार

खान मंत्रालय

भारतीय खान ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर

दूसरी मंजील, जीएसआई फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र

महालेखाकार आफिस कोम्प्लेक्स, पोस्ट-विधान सभा- रायपुर- (छ.ग)-492005

फोन- 0771-2282530/2285590/95 [मेल- ro.raipur.ibm@gmail.com](mailto:ro.raipur.ibm@gmail.com)

No- MP/DRG/Lst-41/NGP

दिनांक -04/10/2018

प्रेषित- श्री बी.पी.मिश्रा, खान एजेंट एवं वरिष्ठ वाइस प्रेसिडेंट(खान), सर्वश्री
सॅचुरी टेक्सटाईल्स एवं इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड,
सॅचुरी सीमेंट चूना खदान,
पो.-बैकुंठ, जिला-रायपुर(छत्तीसगढ़)-493116

विषय- छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले में स्थित आपकी सॅचुरी सीमेंट चूना खदान 74.843 हे. में खनिज संरक्षण एवं
विकास नियमावली 2017 के नियमों के उलंघन के संबंध में-

महोदय

The following provisions of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated during inspection of the above mine on 21.08.2018 by undersigned accompanied by Sri Shisir Tamrakar, Mining Engineer & Shri RPS Bhatia, Manager (Mines).

Rule	Nature of Violation observed
Rule 45	While scrutiny of the Annual return submitted for 2017-18 it is observed that reserves and cost of production in return are mentioned wrongly. As per approved document reserves is given 74.10 lakh tons in 111 category and after depletion of reserves from 2014-15 to 2017-18 the balance remain 54.55 lakh tons but in return it is mentioned 67 lakh tons. The cost of production is same for both the lease (237.003 ha. & 74.843 ha) including the Direct cost(exploration cost & Mining cost).

- इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। एवम इस नियम का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 45(7) के अंतर्गत
(क) खान की सारी खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती हैं।
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
- अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशुद्ध सुधार करे एवम इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(राजेश कुमार दास)

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक

भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि – for information please

- खान नियंत्रक(मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर
- संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक

भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

